

वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(124)वित्त1(1)आय.व्य/2014


जयपुर, दिनांक : 18-01-2014

समस्त कोषाधिकारी
कोष कार्यालय —————

संशोधन पत्र

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक स्वीकृति संख्या - 521/2015-16 एवं 522/2015-16 में आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृतियों में अंकित "दिनांक 1-1-15" के स्थान पर " दिनांक 01-01-16" पढ़ा जावे। शेष स्वीकृतियाँ यथावत रहेगी।


भवदीय,


(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा -प्रथम, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (गुप-5) विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव (बजट)

कार्यालय-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/बजट/बी-4/9819/वी-IV/2015-16/276

दिनांक-22-1-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति को प्रेषित कर लेख है कि विशेष चिकित्सा पुनर्भरण का भुगतान इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार करने का दायित्व आपका होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F-914/jd/rules/2005/pt जयपुर दिनांक 22.7.14 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।
3. अनुभाग अधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा


सहायक लेखाधिकारी(बजट)